



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No. 315]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2010

सा.का.नि. 477(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण.—(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन अधिनियम, 2007 में—

(i) विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए :—

“3. शुल्क लगाना.—(1) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे उल्लेख किए गए अनुसार शुल्क लगाया जाएगा :

क्र.सं.	अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यकलाप	शुल्क (रुपए)
(1)	(2)	(3)
1.	अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण	5,00,000
2.	प्राधिकरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति	10,000
3.	अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्राधिकार	
	(या)	
	विशेष रूप से सीजीडी नेटवर्क को पृथक करना यदि इसे प्राधिकरण के लिए प्रयोग के अंतर्गत शामिल न किया गया हो।	
	(या)	

(1)	(2)	(3)
	सामान्य वाहक या संचिदा वाहक पाइपलाइनों या सीजीडी नेटवर्क का विस्तार —	
	सीजीडी प्रस्ताव :	
	श्रेणी क नगर*	12,00,000
	अन्य नगर**	8,00,000
	पाइपलाइन प्रस्ताव :	
	स्पर लाइनें	10,00,000
	ट्रंक लाइनें < या = 500 किलोमीटर	15,00,000
	ट्रंक लाइनें > 500 किलोमीटर	20,00,000
4.	सुरक्षा मानक सहित कोई तकनीकी मानक या विशिष्टि बनाना या उसे अद्यतन बनाना या संशोधन करना	10,000
5.	बोर्ड के आदेश की प्रमाणित प्रति	500
6.	अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (ज) के अंतर्गत बोर्ड के आदेश में संशोधन या समीक्षा करना	30,000
7.	अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति (प्रति पृष्ठ) प्राप्त करना	100
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर का निरीक्षण (प्रति निरीक्षण)	5,000
9.	अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करना (प्रति शिकायत)	
	कम्पनियां	1,00,000
	अन्य	1,000

* 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन और अधिक की जनसंख्या वाले शहर ।

** 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से कम की जनसंख्या वाले शहर ।

[फा. सं. एस-प्रशा./II/8/2009-खण्ड-1]

रतन पी. वातल, सचिव

“पाद टिप्पणी : मूल विनियमों की सं. सा.का.नि. 732(अ), दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को अधिसूचित किया गया था । ”

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2010

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007

(i) Regulation 3 shall be substituted with the following:

“3. Levy of Fee.—(1) Every application under various provisions of the Act shall accompany fee as specified below :

